

केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के संबंध में विवरण
वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17

किसी भी कर प्रणाली और इसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य, सरकारी खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि मुख्यतः सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों का पता विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों से चलता है। इन उपायों को समेकित रूप से कर 'कर प्रोत्साहन' या 'कर वरीयता' कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर प्रभाव होता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को परिलक्षित करते हैं।

कर नीति विशेष कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है जिससे कर वरीयता में बढ़ोतरी होती है। इन कर वरीयता परक उपायों का राजस्व पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है तथा इन्हें वरीयता परक करदाताओं को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी देखा जा सकता है। इन्हें 'कर व्यय' भी कहा जाता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति न केवल कारगर बल्कि पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कार्यक्रम आयोजना जिसमें राजस्व पर प्रभाव डालने वाले प्रोत्साहनों का प्रयोग करके विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करना अपेक्षित होता है, उसे सुस्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्ययों (या राजस्व प्रभावों) को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। राजस्व पर किसी भी रूप में प्रभाव डालने वाले कर प्रोत्साहन अपने आप में कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

यह वर्तमान विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों के ऐसे राजस्व प्रभाव को पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में परिच्यक्त राजस्व के विवरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हो पायी। इससे सरकार की कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के इरादे पर भी विश्वसनीयता की मुहर लगी। इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबन्ध-12 के माध्यम से तथा "परिच्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09 से 2015-16 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 2015-16 से और इसके आगे "केन्द्रीय कर सिस्टम के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है क्योंकि जो वास्तविक रूप में विश्लेषित किया जा रहा है, वह राजस्व प्रभाव है।

पहले की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण राजस्व प्रभाव का अनुमान अधिकांश "कर अधिमानताओं" के संबंध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए है और यही सब से हाल का वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, वित्तीय वर्ष 2015-16 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्ययों का अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किया गया है:

- (क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे जा सकेंगे। ये अनुमान अत्यावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये जाते हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर वरीयता के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर रियायत के प्रभाव का निर्धारण, यह मानते हुए पृथक रूप से किया जाता है, कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

हालांकि राजस्व प्रभाव की मात्रा को कर व्यय के संदर्भ में बताया गया है किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राजस्व की इस मात्रा को सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है। इसके बजाय इन्हें कतिपय क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछेक मामलों में कर व्यय के माध्यम से ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप ऐसे प्रोत्साहनों के न मिलने पर संभवतः नहीं हो पाते या बहुत निम्न स्तर पर हो पाते। विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भागों में किया गया है।

प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातों, संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचागत सुविधाओं की स्थापना; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; तथा सहकारी क्षेत्र तथा व्यक्तियों द्वारा बचत और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूँजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था की जाती है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में उपर्युक्त क्षेत्रों नामतः (क) कंपनियां; (ख) फर्मों, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय आदि तथा; (ग) व्यष्टियों एवं अविभाजित हिन्दू परिवारों के लिए पृथक रूप से कर प्रोत्साहनों का

राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। धर्मार्थ या सामाजिक प्रयोजन की क्रियाकलापों में संलिप्त संस्थाओं का व्यौरा भी भाग (घ) में दिया गया है। शीर्ष जिनके अंतर्गत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कंपनियों एवं फर्मों आदि दोनों के लिए समान हैं। तथापि, व्यष्टियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्षों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि ये उनसे ही संबंधित हैं। कॉरपोरेट क्षेत्र हेतु विवरण अलग-अलग लाभ के स्लैबों में कंपनियों हेतु प्रभावी कर दरों के फैलाव का भी विश्लेषण करते हैं। प्रभावी कर दरों का क्षेत्रवार विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया है।

क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2015-16 (अर्थात कर निर्धारण वर्ष 2016-17) के लिए 30 नवम्बर, 2016 तक 597,884 कम्पनियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी विवरणी इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करना अपेक्षित होता है। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2016-17 में अनुमानित की गई कुल कंपनी विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर इन कम्पनियों से वित्त वर्ष 2015-16 में उनकी आय पर 3,57,968.36 करोड़ रुपए (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित) का कम्पनी कर देय है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान लाभांश वितरण कर के रूप में 39,202.27 करोड़ रुपए संदेय है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए इन 597,884 कम्पनियों¹ के आंकड़ों को विश्लेषण हेतु डाटाबेस से हटा दिया गया था तथा इनका व्यौरा इस विवरण के परिशिष्ट तथा सारणी 1 से 5 तक में दिया गया है। सारणी-1 में इन कम्पनियों के मुनाफों की सीमाओं की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आएं हैं:

- 321770 कम्पनियों (53.82 प्रतिशत) ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कर देने से पहले 12,67,408 करोड़ रुपये का लाभ तथा 9,04,242 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय)² की जानकारी दी है।
- 2,58,096 कम्पनियों (43.17 प्रतिशत) ने 5,91,819.12 करोड़ रुपये के नुकसान होने की सूचना दी है।
- 18080 कम्पनियों (3.01 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की जानकारी दी है।

इन सम्पूर्ण नमूने की प्रभावी कर दर³ **28.24** प्रतिशत⁴ थी (जबकि 2014-15 में यह दर 24.67 प्रतिशत सूचित की गई थी) जबकि सांविधिक कर दर 10 करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत तथा 10 करोड़ रु. से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 34.6 प्रतिशत थी जिसके फलस्वरूप औसत सांविधिक दर 34.47⁵ प्रतिशत⁶ थी। कम्पनियां, जिनका कर से पहले लाभ (जिसे इसके बाद पीबीटी के रूप में कहा जाएगा), 500 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक था, का कुल पीबीटी में 58.97 प्रतिशत हिस्सा था तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला कुल कम्पनी आयकर का 54.08 प्रतिशत था। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर 25.90 प्रतिशत थी, जबकि उन कम्पनियों जिनकी पीबीटी एक करोड़ रुपए तक थी, की प्रभावी कर दर 30.26 प्रतिशत थी। छोटी कंपनियों हेतु प्रभावी कर की यह दर 30.26 है जो कम्पनियों में सांविधिक दर के निकट है वह लाभ संबद्ध कटौतियों के धीरे-2 समाप्त होने का परिणाम है। 28.24 प्रतिशत के संपूर्ण नमूने की प्रभावी दर हालांकि वित्त वर्ष 2014-15 की प्रभावी दर 24.67 प्रतिशत से मामूली रूप से अधिक है। ऐसा विभिन्न लाभ जुड़ी कटौतियों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने तथा कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने के कारण है। एक करोड़ रुपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्प्ल (78.11 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (91.47 प्रतिशत) है। यह छोटी कंपनियों के लिए काफी उच्चतर 30.26 प्रतिशत की औसत प्रभावी कर दर से भी प्रदर्शित होता है। यह बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्प्ल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2015-16) (सैम्प्ल आकार-597884)

क्रम सं.	करों से पूर्व लाभ की संख्या	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (%) में	कुल आय में हिस्सा (%) में	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (%) में	करों से पूर्व लाभ के अनुपात में कुल आय का (%) में	प्रभावी कर दर (लाभ के अनुपात में कर)
1	शून्य से कम	2,58,096	0	1.36	1.37		
2	शून्य	18,018	0	7.30	2.55		
3	0-1 करोड़ रुपए	2,85,322	2.78	3.26	2.98	91.47	30.26
4	1-10 करोड़ रुपए	28,667	6.84	7.29	7.13	83.25	29.44
5	10-50 करोड़ रुपए	5,497	9.31	9.39	9.56	78.75	29.00
6	50-100 करोड़ रुपए	1,002	5.52	5.40	5.57	76.40	28.47

क्रम सं.	करों से पूर्व लाभ	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (%) में	कुल आय में हिस्सा (%) में	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (%) में	करों से पूर्व लाभ के अनुपात में कुल आय का प्रतिशत (%) में	प्रभावी कर दर (लाभ के अनुपात में कर)
7	100-500 करोड़ रुपए	984	16.58	15.87	16.77	74.78	28.57
8	500 करोड़ रुपए से अधिक	298	58.97	50.13	54.08	66.41	25.90
9	सभी कंपनियां	5,97,884	100	100	100	78.11	28.24

¹ वित्त वर्ष 2014-15 के लिए नमूना आकार 5828896।

² आयकर विवरणी में 'कुल आय' कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा।

³ कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदेय कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर को छोड़कर) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

⁴ लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 31.33 प्रतिशत थी।

⁵ 10 करोड़ तक की आयवाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत की कर दर तथा 10 करोड़ रु. से अधिक आयवाली कंपनियों के मामले में 34.06 प्रतिशत की कर दर का भारित औसत निकाल कर औसत सांविधिक कर दर निकाली गई है।

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। इस बात पर गौर किया गया कि 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली 3,39,254 कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 12.77 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 16.46 प्रतिशत और कुल संदेय कर का 5.24 प्रतिशत बैठता था। दूसरे शब्दों में अधिकांश कम्पनियों (3,39,254) अर्थात् कुल कम्पनियों के 56.74 प्रतिशत हिस्से ने अपने लाभों की तुलना में कर की काफी कम राशि का योगदान दिया। आश्चर्य की बात है किन्तु कुल लाभ का 6.51 प्रतिशत तथा कुल करों का 13.29 प्रतिशत वाली 46,432 कम्पनियों की प्रभावी कर दर 34.47 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के लगभग बराबर थी। यह कम्पनियों में कर देयता के असमान वितरण को दर्शाता है। यह मुख्यतः संविधान में विभिन्न कर तरजीहों के कारण है।

सारणी 2 : नमूना कम्पनियों की प्रभावी कर-दर* की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2015-16) (नमूना आकार-597884)

क्रम सं.	प्रभावी कर दर (%) में	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (%) में	कुल आय में हिस्सा (%) में	संदेय कुल कर में हिस्सा (%) में
1	शून्य से कम तथा शून्य	2,73,176	2.92	1.51	1.40
2	0-20	18,018	0	7.30	2.55
3	20-25	21,241	33.89	8.81	26.87
4	25-30	27,306	10.23	11.10	10.28
5	30-33	1,45,633	36.60	50.34	45.63
6	<33	46,432	6.51	13.29	11.98
7	अनिर्धारित (पीबीटी=0)	18,080	0.00	0.00	0.0
कुल		5,97,884	100.00	100.00	100.00

* प्रभावी कर दर में अधिभार तथा शिक्षा उपकर शामिल हैं।

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों (केवल पीएसयू) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हालांकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है, फिर भी निजी क्षेत्र की कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे का थोड़ा अधिक भाग कर के रूप में देती हैं।

सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्प्ल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2015-16) (नमूना आकार-5,97,884)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (%) में	संदेय कुल कर में हिस्सा (%) में	प्रभावी कर दर (%) में
1	सार्वजनिक	216 [#]	18.75	18.25	27.49
2	निजी	5,97,668	81.25	81.75	28.42
	योग	5,97,884	100.00	100.00	24.67

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

कर-निर्धारिती कम्पनियों (पीएसयू) द्वारा उनकी विवरणियों में दी गई सूचना पर आधारित।

सारणी 4 में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की प्रभावी कर दरों के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी दर (25.86 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र की उच्च प्रभावी कर दर 30.34 प्रतिशत की तुलना में कम है। इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर 34.47 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर*
(वित्त वर्ष 2015-16) (नमूना आकार - 5,97,884)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	1,24,063	46.73	42.78	25.86
2	सेवा	4,73,821	53.27	57.22	30.34
	योग	5,97,884	100.00	100.00	24.47

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

सारणी 5 में वित्त वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान हुए कर व्यय के सम्बंध में कम्पनी करदाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे दिए गए हैं। यह विश्लेषण 30 नवम्बर, 2016 तक दाखिल की गई कम्पनी विवरणियों पर आधारित है जो वित्त वर्ष 2016-17 में अपेक्षित विवरणियों का 90 प्रतिशत है। तथापि, सभी कम्पनिया द्वारा विवरणी दाखिल करने की देय तिथि 30 नवम्बर या उससे पूर्व है तथा विश्लेषित अधिकांश कर रियायतों द्वारा ऐसे प्रोत्साहन के दावे के प्रयोजनार्थ विवरणी का देय तिथि से पूर्व दाखिल किया जाना अपेक्षित होता है। अतः नमूना आंकड़ों में कर व्यय में किसी भी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन कम्पनियों द्वारा उठाई गई प्रत्येक कर रियायत से होने वाले कर प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 34.47 प्रतिशत की औसत सांविधिक कारपोरेट कर की दर को लागू करके की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्वास, वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती तथा जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हेतु पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय के कारण हुए राजस्व प्रभाव की गणना, कम्पनियों के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्वास /कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यह्वास/ कटौती के अन्तर से की गई है। इसके पश्चात कर व्यय के आंकड़े पर आने के लिए इस अन्तर पर औसत कारपोरेट कर की 34.47 प्रतिशत की दर, लागू की गई है।

कर व्यय का एक और पहलू कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है, जब कर दाता को कर सांविधि के अन्तर्गत उच्चतर कटौतियों की अनुमति दिए जाने के कारण, वह लघु अवधि के लिए कटौती के रूप में एक भर्ते (उदाहरण मूल्यह्वास भत्ता) का दावा करते हुए अपनी कर देयता को आस्थित कर सकता है, जहां वह उसी मूल्य ह्वास के दावे को अपने लेखे में कई वर्षों में दिखा रहा होता है। चूंकि मूल्य ह्वास से इस तरह रोकड़ प्राप्त नहीं होता, इसे कर आस्थगन कहते हैं। दूसरी ओर, कर सांविधि के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों पर लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर, कम्पनी द्वारा अपने शेयर धारकों को दिए गए लाभ (कुछ समायोजनों के अधीन) पर देयता (वर्ष 2015-16 के सम्बंध में बुक लाभ पर अधिभार और उपकर सहित 20.99 प्रतिशत की दर से) लगाता है यदि यह देयता सामान्य दरों पर संगणित कर देयता से अधिक है। न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अधिक देयता की अनुमति, फ्रेडिट (10 वर्ष तक) के रूप में उस अगले वर्ष तक दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता, न्यूनतम वैकल्पिक कर से अधिक हो। अतः न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अदा किया गया अतिरिक्त कर, भावी कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्य ह्वास के दावों के कारण कर आस्थगन की अवधि को सीमित करता है तथा इसी दावे को लम्बी अवधि में बांटते हुए लाभ से जुड़ी कटौतियों जैसी अन्य कटौतियों के, राजस्व प्रभाव को कम करता है।

वित्त वर्ष 2015-16 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2016-17 का कर व्यय परिलक्षित किया गया है। वर्ष 2016-17 के सम्बंध में आंकलन, संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2016-17 में परिलक्षित कारपोरेट कर वृद्धि द्वारा 2015-16 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को गुण करते हुए किया गया है।

सारणी 5, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कर व्यय के अनुसार कारपोरेट कर दाताओं पर प्रमुख कर व्यय और वित्त वर्ष 2016-17 का परिलक्षण है।

सारणी 5: वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कारपोरेट कर दाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
(नमूना आकार - 597884)

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2015-16)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)
1.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10 क और 10 कक्ष)	18864.3	20492.6
2.	बढ़ा हुआ मूल्य ह्वास (धारा 32)	50027.0	54345.3

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2015-16)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा (2कख)	10107.4	10979.8
4.	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	359.0	390.0
5.	विशिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	1236.7	1343.5
6.	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	1275.9	1386.0
7.	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान पर कटौती (धारा 80छछक)	8.7	9.4
8.	राजनीतिक दलों को अंशदान देने पर कटौती (धारा 80छछख)	13.9	15.1
9.	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	5064.9	5502.1
10.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	403.5	438.4
11.	दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	1233.2	1339.7
12.	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झक)	11416.0	12401.4
13.	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगी कंपनियों के लाभ में कटौती (धारा-80-झक)	205.4	223.2
14.	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झकख)	1949.8	2118.1
15.	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	190.8	207.3
16.	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	40.0	43.5
17.	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	3.1	3.4
18.	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से औद्योगिक उपक्रमों के होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	14.9	16.2
19.	खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	5985.7	6502.4
20.	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	56.9	61.8
21.	शीत श्रृंखला सुविधा के प्रचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	7.7	8.4
22.	खाद्य अनाजों की संभाल, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	27.6	30.0
23.	फलों एवं सब्जियों के संसाधन, परिष्काशन एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	253.0	274.9
24.	ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	2.9	3.2

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2015-16)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)
25.	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	891.3	968.3
26.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	1444.7	1569.4
27.	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	2931.3	3184.3
28.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	1057.8	1149.1
29.	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80-जजक)	12.7	13.8
30.	नये कामगारों के नियोजन के संबंध में कटौती (80 जजकक)	63.1	68.5
31.	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कर्तिपय आयों के संबंध में कटौती (80-ठक)	26.7	29.0
32.	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों कन्वेंशन सेंटर के सम्बंध में कटौती (धारा 80-झग)	0.5	0.6
33.	कुल योग	1,15,176.5	1,25,118.5
34.	घटा न्यूनतम वैकल्पिक कर के कारण अतिरिक्त करदेयता = 45,591.80		
	<u>न्यूनतम वैकल्पिक कर के लेखे के दावे द्वारा कमी</u> = 7,273.00		
	<u>न्यूनतम वैकल्पिक कर के परिणामस्वरूप निवल अतिरिक्त कर</u> = 38, 318.80	38,318.80	41626.44
	कुल	76,857.70	83,492.03

यद्यपि पिछले वर्ष के विवरण में 2015-16 के लिए प्रक्षेपित कर व्यय (न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) 1,06,362.76 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, जो अब वार्तविक गणना के पश्चात 1,15,176.50 करोड़ रुपए है। एमएटी के परिणामस्वरूप संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहन का वास्तविक राजस्व प्रभाव 68,710.98 करोड़ रुपए के प्रक्षेपित कर व्यय की तुलना में थोड़ा अधिक 76,867.70 करोड़ रुपए है। बड़ा हुआ मूल्य हास उस लेखा शीर्ष के लिए है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहन की सर्वाधिक राशि (50,027 करोड़ रुपए) प्रदान की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, विद्युत के उत्पादन, ट्रान्समिशन तथा वितरण से जुड़े उपक्रमों, आधारभूत संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े उपक्रमों तथा आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों द्वारा ली गई कटौती कुल कर प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरणी के परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज में चीनी सीमेंट क्षेत्र की प्रभावी कर दर क्रमशः 19.3 प्रतिशत तथा 21.4 प्रतिशत है। इसी तरह पट्टे कंपनियों की प्रभावी कर दर भी 21.6 प्रतिशत पर औसत से कम है।

ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2015-16 की आय के लिए आयकर विभाग ने 30 नवम्बर तक इलैक्ट्रनिक माध्यम से दायर की गई 7,91,531 विवरणियां प्राप्त की हैं। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 7,91,531 फर्म/एओपी/बीओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। वित्त वर्ष 2015-16 में फर्म/एओपी/बीओआई की समस्त द्वारा संदर्भ कर बड़े हिस्से का कारण है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्म/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 1,33,478.62 करोड़ रुपए की सूचना दी तथा 94,974.39 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की। 1,05,771 विवरणियों में हानि दर्शाई गई जो नमूने का 13.36 प्रतिशत है।
- इन नमूना फर्म/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए संदेय आयकर के रूप में (शिक्षा उपकर सहित) 31,969.74 करोड़ रुपए सूचित किया है। उनके मामले में प्रभावी कर⁶ दर 23.95 प्रतिशत बनती है।

⁶ फर्म/एओपी/बीओआई के मामले में प्रभावी कर दर कर पूर्व कुल लाभों के प्रति कुल अदा किए गए करों (शिक्षा उपकर सहित) का अनुपात है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

नमूना फर्मो/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर, राजस्व प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 33.60 प्रतिशत (भारित औसत दर का परिकलन 1 करोड़ से कम से कम आय वाले प्रतिष्ठानों के लिए 30.6 प्रतिशत दर मानकर और 1 करोड़ रुपये से अधिक आये वाले प्रतिष्ठानों के लिए 34.6 प्रतिशत दर मानकर किया गया) की आयकर दर लागू की गई है। बड़े हुए मूल्य हास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर कटौती और व्यय के कारण कर व्यय की गणना, फर्मो/एओपी/बीओआई के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गे मूल्य हास/कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यहास/कटौती के अन्तर से की जाती है। इसके पश्चात् 33.60 प्रतिशत की आयकर दर को, इस अन्तर पर लागू किया गया है ताकि प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व भार का आकलन किया जा सके।

वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्त वर्ष 2016-2017 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान किया गया है। 2016-2017 के लिए अनुमान को वर्ष 2016-2017 में संग्रहित वास्तविक आयकर के 2015-2016 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वास्तविक आय कर संग्रहणों के अनुपात की गणना और 2015-2016 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को लागू करके तैयार किया गया है। सारणी 6 वित्त वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के दौरान कर व्यय के सम्बन्ध में गैर कार्पोरेट कर दाताओं के बारे में मुख्य कर व्यय को दर्शाती है। उच्चतम कर व्यय सहकारी सोसाइटियों के लाभों की कटौती के कारण है जोकि इस क्षेत्र में कुल राजस्व प्रभाव का 44.76 प्रतिशत है। उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में उपक्रमों द्वारा व्युत्पन्न लाभों की कटौती के कारण कर व्यय कुल कर व्यय का 14.43 प्रतिशत था।

वित्त वर्ष 2015-16 में गैर कार्पोरेट क्षेत्र अर्थात् फर्मो, एओपी/बीओआई के सम्बन्ध में कुल कर व्यय 4779.9 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था।

वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान कर व्यय के रूप में गैर-कारपोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय सारणी 6 में दर्शाया गया है।

**सारणी 6 : वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान गैर-कारपोरेट [फर्मो/एओपी/बीओआई]
के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
(प्रतिदर्श आकार-7,91,531)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2015-16)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2016-17)
1	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक)	387.6	421.0
2	बड़ा हुआ मूल्यहास (धारा 32)	780.9	848.3
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा 2कख)	11.8	12.8
4	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	13.8	15.0
5	निर्दिष्ट कारबार के संबंध में कटौती (35 कघ)	109.4	118.8
6	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	105.3	114.4
7	राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग)	4.0	4.4
8	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	41.9	45.6
9	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	75.9	82.5
10	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	0.2	0.2
11	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	175.0	190.1
12	विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	12.3	13.3
13	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झकख)	26.3	28.5

क्रम सं.	प्रोत्साहन कटौती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2015-16)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2016-17)
14	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	31.3	34.0
15	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	0.5	0.6
16	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	0.9	0.9
17	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	136.6	148.4
18	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	2.8	3.1
19	खाद्य अनाजों के प्रबंधन, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	2.0	2.2
20	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	26.6	28.9
21	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	76.4	83.0
22	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	175.0	190.1
23	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	138.8	150.8
24	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	299.5	325.3
25	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थ के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80 जक्र)	4.7	5.1
26	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80रक)	0.4	0.4
27	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों और सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	0.4	0.4
28	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	2139.6	2324.3
योग		4779.9	5850.1

ग. व्यष्टि करदाता

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि / हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, 50 प्रतिशत व्यष्टि करदाता अपनी आय मुख्यतः वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वेतनभोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

व्यष्टि करदाताओं को प्रदान किए गए विभिन्न कर लाभों के कारण परित्यक्त राजस्व के अनुमान सारणी 7 में दिए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क के विभिन्न खंडों के अंतर्गत कर प्रभाव का अनुमान 30 नवम्बर, 2016 तक आयकर विभाग के पास व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल 2,61,21,26 विवरणियों में कर प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न दावों के आधार पर किया गया है। अध्याय VI-क के अलावा वित्त वर्ष 2015-16 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) के लिए 3,00,000 रुपए की उच्च बुनियादी छूट सीमाओं तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (अस्सी या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) के लिए 5,00,000 रु. की बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

2,61,21,246 आयकर विवरणियों के नमूनों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी संख्या के लिए कर व्यय का अनुमान निम्नप्रकार से किया गया है:-

- (i) यथोक्त (सारणी 7 की क्रम सं0 24 एवं 25) उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण राजस्व प्रभाव का परिकलन प्रति वरिष्ठ नागरिक एवं अति वरिष्ठ नागरिक के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या से गुणा करके किया गया है। उनकी संबंधित संख्या का अनुमान उनके द्वारा दाखिल नमूना विवरणियों की प्रतिशतता का परिकलन करके किया गया है। इसके पश्चात इस प्रतिशतता को वित्त वर्ष 2015-16

के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या के अनुमान पर लागू किया गया है। 30 नवम्बर, 2016 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कुल नमूना विवरणियों की संख्या 2,61,21,246 है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए दाखिल 3,74,54,773 विवरणियों के अनुमान की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या 3,93,27,511 होने का अनुमान है। नमूना विवरणियों के अनुसार 11.04 प्रतिशत विवरणियां वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तथा 0.59 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिक द्वारा दाखिल की गई। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतर छूट सीमा के राजस्व प्रभाव का परिकलन 2,50,000 रुपए की सामान्य छूट सीमा और उच्चतर बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रु.) के बीच अन्तर और न्यूनतम 10 प्रतिशत की कर दर और उपकर को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 5,150/- रु. है। अति वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट सीमा 5,00,000/- रु. है और 25,750 (अधिभार सहित) की राशि का ऐसी आय पर संगणित कर साठ वर्ष से कम व्यष्टि द्वारा देय है। इसे प्रत्येक अति वरिष्ठ नागरिक के लिए राजस्व प्रभाव लिया गया है। इसके बाद प्रत्येक ऐसे करदाता (वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक) के कारण कर व्यय 2,50,000/- रु. की सामान्य छूट सीमा से ऊपर ऐसे करदाताओं की संख्या के कुल अनुमान पर प्रक्षेपित किया गया है।

- (ii) विशेष रूप से धारा 80-झक, 80-झकख 80-झख, 80-झग और 80-झघ (सारणी 7 की क्रम सं. 13 से 17) के अंतर्गत कटौती के मामले में राजस्व प्रभाव या कर व्यय का परिकलन यह मानकर किया गया है कि वास्तविक आंकड़ा इन धाराओं के अंतर्गत व्यष्टियों द्वारा किए गए कुल दावों को दर्शाता है क्योंकि वित्त वर्ष 2015-16 की आय के लिए सभी लेखा-परीक्षित कर विवरणियां अनिवार्य ई-फाइलिंग के अधीन थी।
- (iii) अन्य सभी मामलों में, सभी करदाताओं के लिए कर व्यय का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है-
- (क) पहले प्रत्येक आय स्लेब, जिसके लिए नमूना विवरणियों में पृथक कर दर है, के लिए प्रति करदाता किसी विशेष प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय की गणना की जाती है।
- (ख) उसके बाद, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या में उस आय स्लेब में व्यष्टि करदाताओं की अनुमानित संख्या को प्रत्येक प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय से गुणा किया किया जाता है।

इससे किसी विशेष प्रोत्साहन हेतु उस आय स्लेब के लिए कर व्यय प्राप्त होता है। सभी खंडों के लिए कर व्यय के जोड़ से उस विशेष कर प्रोत्साहन के कारण सभी लोगों के लिए कर व्यय प्राप्त होता है।

- (iv) वित्त वर्ष 2015-16 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2016-17 के लिए अनुमान, वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान के अनुसार संग्रहीत वैयक्तिक आयकर के अनुपात को वर्ष 2015-16 में संग्रहीत वास्तविक वैयक्तिक आयकर की गणना करके उस अनुपात को 2015-16 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय पर लागू करके किया गया है। धारा 87क के अन्तर्गत जो छूट दी जाती है उसके मामले में राजस्व प्रभाव धारा 87क के अंतर्गत छूट के मौजूदा 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने तथा करदाताओं की कुल संख्या में 5 प्रतिशत वार्षिक वदि दर होने के आधार पर अनुमानित किया गया है।

उपर्युक्त व्यौरे के अनुसार, सारणी 7 वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान व्यष्टि कर दाताओं, हिन्दू अवभाजित परिवार के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव दर्शाती है।

सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17

के दौरान व्यष्टि / हिन्दू अवभाजित परिवार करदाताओं हेतु प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2015-16)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2016-17)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	45184.4	55299.25
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	204.5	250.26
3	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	897.6	1098.54
4	आर जी ई एस एस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80 गगछ)	10.1	12.35
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ)	1559.9	1909.08
6	विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (80घघ)	338.1	413.75
7	विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा उपचार हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख)	190.8	233.49
8	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.)	503.8	616.57
9	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ)	486.3	595.15

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2015-16)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2016-17)
10	आवास हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ)	230.3	281.84
11	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक)	47.9	58.61
12	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के कारण कटौती (80छछग)	66.1	80.96
13	अवसंरचना सुविधाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झक)	48.3	59.12
14	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख)	0.2	0.30
15	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के प्रबंधन, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत कारोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख)	40.3	49.36
16	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग)	122.0	149.31
17	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों, सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	0.2	0.24
18	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थ के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80 जंजक)	6.3	7.68
19	पाठ्य पुस्तकों के अलावा कितिपय अन्य पुस्तकों के लेखकों की रॉयलटी आय की कटौती (80थथख)	11.2	13.66
20	पेटेंट पर रॉयलटी आय की कटौती (80ददख)	1.4	1.75
21	बचत खाता में ब्याज के कारण कटौती (80 ननक)	864.4	1057.90
22	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प)	255.5	312.75
23	धारा 87क के अन्तर्गत छूट	3139.97	8242.42
24	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	2332.9	2855.10
25	अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	477.6	584.54
योग		57,020.1	74,183.97

विभिन्न बचत पत्रों में निवेश किए जाने के लिए कर प्रोत्साहन, आवास ऋण की वापसी तथा बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान के माध्यम से जो राजस्व प्रभाव पड़ता है, (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत आते हैं) वह व्यक्ति करदाताओं के मामले में सबसे बड़ा एकल कर व्यय होता है। इसके बाद आवासीय व्यक्तियों जिनकी आय 5 लाख रुपए तक होती है, के मामले में कर से दी जाने वाली छूट और कर बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर की जाने वाली कटौती का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा के कारण होने वाला कर व्यय भी काफी अधिक होता है। जहां तक लाभप्रक कटौतियों का संबंध है, सबसे अधिक कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख और धारा 80झग के कारण है।

(घ) धर्मार्थ संस्थाएं:

आय कर अधिनियम में धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्यों में शामिल सरकारी वित्तपोषित संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, कितिपय कार्यकलापों जोकि सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं, में शामिल संस्थाओं को विशेष छूट भी उपलब्ध है। ये संस्थाएं दान, स्वैच्छिक अशंदान भी प्राप्त करती हैं और धर्मार्थ प्रकृति के कार्यकलापों से इनकी अन्य आय भी होती है। ऐसी संस्थाओं की कुल प्राप्तियों को उन उद्देश्यों, जिनके लिए इन्हें स्थापित किया गया है, हेतु प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। इन संस्थाओं को आय कर विवरणी दायर करनी अपेक्षित होती है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 30 नवम्बर, 2016 तक ऐसी संस्थाओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर विवरणियों की कुल संख्या 1,31,705 है। भारत में ऐसी संस्थाओं द्वारा धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल राशि 2,67,533.7 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि में अप्रत्यक्ष दरों के लिए कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरण

क. सीमा शुल्क

1.1 वस्तुओं पर सीमाशुल्क, टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे सामान्यतः बुनियादी सीमाशुल्क-बीसीडी कहा जाता है) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय है। निर्यात पर, निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय है। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में निम्नलिखित के उद्ग्रहण का प्रावधान है :

- क. सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (धारा 3 की उपधारा (1)) (जिसे सामान्यतः काउंटरवेलिंग ड्यूटी अथवा सीवी ड्यूटी कहा जाता है), और
- ख. 4 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (धारा 3 की उपधारा (5)) (जिसे सामान्यतः एसएडी कहा जाता है)

1.2 सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 अथवा अन्य किसी अधिनियम में प्रत्येक प्रशुल्क के लिए विनिर्दिष्ट इन दरों को 'प्रशुल्क दरें' के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अथवा संबंधित वित्त अधिनियमों में केन्द्र सरकार (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) जो विभिन्न वित्त अधिनियमों के तहत लगाए गए शुल्कों पर भी लागू होती है, के अंतर्गत) को अधिनियमों के माध्यम से प्रशुल्क दरों से भी कम शुल्क दरें विहित करने की शक्तियां दी गई हैं। ऐसी छूट संबंधी अधिसूचनाओं के जरिए विहित दरों को 'प्रभावी दरें' कहा गया है।

- 1.3 इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जारी की गई छूट संबंधी अधिसूचनाओं का मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है,
 - क. सशर्त छूट अधिनियम, और
 - ख. बिना शर्त छूट अधिसूचनाएं

1.4 बिना शर्त छूटों में किसी पर्याप्त वस्तु के सभी आयात के लिए प्रयोज्य शुल्क की प्रभावी दरें बिना शर्त निर्धारित की गई हैं। ऐसे मामलों में, प्रशुल्क दरें अपना महत्व खो देती हैं क्योंकि उस पर्याप्त वस्तु का संपूर्ण आयात ऐसी निर्धारित प्रभावी दर पर होता है। अन्य शब्दों में, ऐसे बिना शर्त वाली छूटें वास्तव में संबंधित पर्याप्त वस्तु प्रशुल्क दरें होती हैं।

1.5 जैसेकि ऊपर चर्चा की गई है, सशर्त छूटें उच्च प्रशुल्क दर अथवा वास्तविक प्रशुल्क दर की अपेक्षा कतिपय विशेष परिस्थितियों में प्रभावी दरें निर्धारित करती हैं। ऐसी सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए होती हैं, उदाहरणतया घरेलू विनिर्माण, रक्षा प्रापण इत्यादि को बढ़ावा देना। ऐसे मामलों में केवल वही आयात जो ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, इस प्रकार की प्रभावी दरों के लिए पात्र हैं। इस प्रकार, इन छूटों का परिणाम संगत प्रशुल्क दर अथवा वस्तुतः प्रशुल्क दर की तुलना में परित्यक्त राजस्व में होता है।

1.6 भारत ने कई देशों अथवा देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार करार, व्यापक आर्थिक भागीदार करार, व्यापक आर्थिक सहयोग करार किया है जिसमें इन देशों अथवा देशों के समूह को भारतीय निर्यात पर प्रशुल्क रियायत के बदले भारत को भी इन देशों अथवा देशों के समूह से किए जाने वाले आयातों पर इसी प्रकार की प्रशुल्क रियायतें देनी होंगी। इसी प्रकार, भारत भी सूचना प्रौद्योगिकी करार का एक हस्ताक्षरकर्ता है जिसमें सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों द्वारा विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर प्रशुल्क रियायत देना अपेक्षित है। ये तरजीही प्रशुल्क सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के जरिए भी निर्धारित किए जाते हैं। सरकारी वचनबद्धता के भाग के रूप में दिए गए ऐसे तरजीही प्रशुल्क वस्तुतः संबंधित देशों अथवा देशों के समूह से आयात के लिए प्रशुल्क दरें हैं।

1.7 बजट 2016-17 तक, सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची अथवा संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रशुल्क दरों की तुलना में किसी छूट अधिसूचना चाहे सशर्त हो अथवा बिना शर्त, के अंतर्गत निर्धारित प्रभावी दर पर विचार करते हुए सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया था, यह सूत्र इस प्रकार है-

- (क) जहां प्रशुल्क और शुल्क की प्रभावी दरें यथामूल्य दरें हैं- कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव = वस्तु का मूल्य \times शुल्क की प्रशुल्क दर - शुल्क की प्रभावी दर)
- (ख) जहां प्रशुल्क दर यथा मूल्य आधार पर है किन्तु प्रभावी शुल्क विशिष्ट है, फिर - कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (वस्तु का मूल्य \times शुल्क की प्रशुल्क दर) - (वस्तु की गुणवत्ता \times विशिष्ट शुल्क की प्रभावी दर)
- (ग) जहां प्रशुल्क दरें और प्रभावी दरें यथामूल्य और विशिष्ट दरों का मिश्रण हैं, उस स्थिति में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव तदनुसार आकलित किया जाता है।

1.8 तथापि, कई वर्षों से यह देखा गया है कि उपर्युक्त पद्धति का परिणाम कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अति अनुमान में होता है क्योंकि इसमें बिना शर्त और सशर्त छूटों पर एक ही प्रकार से विचार किया जाता है। जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है चूंकि बिना शर्त छूटों और प्रभाव में

सरकारी वचनबद्धता को दी गई छूटें संबंधित वस्तु के लिए वास्तविक प्रशुल्क दरों निर्धारित करती हैं, कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव अनिवार्यतः सशर्त छूट खातों पर परित्यक्त राजस्व होता है।

1.9 तदनुसार, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को परिकलित करने की पद्धति में संशोधन किया गया है। बाद के पैरा में किए गए विश्लेषण में कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अनुमान के प्रयोजनार्थ ऐसी बिना शर्त दरों अथवा तरजीही प्रशुल्कों पर वास्तविक प्रशुल्क दरों के रूप में विचार किया जाता है।

1.10 इसके अतिरिक्त, ऐसी कतिपय तकनीकी छूटें हैं, जैसे भारतीय मूल की वस्तुओं के पुनः आयात के लिए, प्रदर्शनियों, मेलों, विशेष समारोह इत्यादि के अस्थायी आयातों, वारंटी के तहत आयातित वस्तु का प्रतिस्थापन, कंटेनरों को छूट, अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भेजी गई वस्तुओं पर छूट, अंटार्किट्का अभियान में प्रयुक्त वस्तुएं इत्यादि। इन अधिसूचनाओं का राजस्व प्रभाव कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव से भी निकाल दिया गया है।

1.11 विश्व भर में निर्यात को शून्य दर्जा दिया जाता है। भारत भी अपने निर्यात को शून्य दर्जा देता है। शून्य दर्जा निर्यातों के कई प्रकार हैं जिनमें निर्यात के पक्ष में अथवा विरुद्ध कच्ची सामग्रियों और निविष्टियों के प्रापण पर छूट देना शामिल है। इस प्रकार, ये छूटें निर्यातकों को केवल कर निष्प्रभाविता मुहूर्या करती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि हम करों का निर्यात न करें। इनमें विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं भी शामिल हैं। अतः इन योजनाओं से निर्मित राजस्व प्रभाव को भी कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव से निकाल दिया गया है।

1.12 तदनुसार, सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अनुमान की इस पद्धति में संशोधन किया गया है, ताकि निम्नलिखित को शामिल न किया जा सके-

- (क) बिना शर्त बीसीडी, सीबीडी और एसएडी छूटें जिनमें वे छूटें शामिल हैं जहां सशर्त दर सामान्य बिना शर्त दर के समान है, के राजस्व निहितार्थ,
- (ख) विभिन्न एफटीए/सीईपीए/सीईसीए के अंतर्गत तरजीही प्रशुल्क के राजस्व निहितार्थ
- (ग) पुनः आयात, अस्थायी आयात इत्यादि पर छूट जैसी तकनीकी छूटों के राजस्व निहितार्थ, और
- (घ) निर्यात के लिए कर निष्प्रभाविता अधिसूचनाओं के राजस्व निहितार्थ

1.13 विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) स्थानों पर भारतीय कस्टम इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि बिलों से सृजित आंकड़ों पर आधारित है। चूंकि ईडीआई प्रणाली और गैर-ईडीआई स्थानों, या जहां ईडीआई प्रणाली पूर्णतः संचालन में नहीं है या जहां बिलों की प्रविष्टि अभी तक हाथ से की जा रही है, के जरिए आयातों के संबंध में आंकड़े नहीं दर्शाती हैं, अतः स्थानीय राजस्व के प्रभाव का पता लगाने के लिए उपर्युक्त समायोजन किए जाते हैं।

1.14 नई पद्धति के अनुसार, सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव निम्नवत है:-

- (क) सभी अध्यायों के लिए कर प्रोत्साहनों के कुल जोड़ की गणना ईडीआई आंकड़ों (उपचारात्मक समायोजन के पश्चात) से की गई है,
- (ख) कुल जोड़ से, कतिपय शुल्कों जिन्हें काफी समय से नहीं लगाया जाता है, अर्थात विशेष महत्व की वस्तुओं (जीएसआईए) पर अतिरिक्त शुल्क (मार्च, 2006 से छूट), कपड़ों और कपड़ा उत्पादों (टीटीए) पर अतिरिक्त शुल्क (जुलाई, 2004 से छूट) और विशेष उत्पाद शुल्क (एसईडी) (मार्च, 2006 से छूट) के कारण ईडीआई में निरूपित कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव घटा दिया गया है।
- (ग) उपर्युक्त (ख) पर प्राप्त धनराशि से, बिना शर्त छूटों और छूटों (एफटीए/पीटीए/आईटीए हेतु) के कारण कुल बीसीडी और सीबीडी का प्रभाव घटा दिया गया है।
- (घ) सभी अध्यायों के लिए उपर्युक्त (ग) के रूप में पता चले कर प्रभावों का राजस्व प्रभाव ईडीआई और गैर-ईडीआई दोनों ही स्वीकृतियां दर्शाने के लिए किया गया है।
- (ङ) उपर्युक्त (घ) पर प्राप्त राशि से, निर्यात इनपुट कर निष्प्रभावन योजनाओं के कारण राजस्व प्रभाव को घटा दिया गया है ताकि कर प्रोत्साहनों के अंतिम राजस्व प्रभाव का पता लगाया जा सके।

1.15 उपर्युक्त पद्धति के आधार पर, वर्ष 2015-16 के लिए सीमा शुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 3,11,972 करोड़ रुपये बनता है। वर्ष 2015-16 के लिए ईडीआई में वास्तविक प्राप्त सकल सीमाशुल्क राजस्व 94.6 प्रतिशत है। बिना शर्त बीसीडी और सीबीडी छूटों और एफटीए/सीईपीए/सीईसीए छूट इत्यादि के राजस्व प्रभाव को घटाने के पश्चात, वर्ष 2015-16 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 1,15,442 करोड़ रुपये है। विस्तृत विवरण हेतु इसका बहिर्वेशन ईडीई के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, पूर्ण वर्ष 2015-16 के लिए सीमाशुल्क का राजस्व प्रभाव 1,22,032 करोड़ रुपये बैठता है।

1.16 वर्ष 2016-17 में वही प्रक्रिया अपनायी गई है। ईडीआई ने 2016-17 में सकल सीमा शुल्क राजस्व का 95.01 प्रतिशत प्राप्त किया। ईडीआई डाटा के अनुसार, 2016-17 में कर प्रोत्साहनों का कुल अनुमानित सीमा शुल्क राजस्व प्रभाव (सुधारात्मक समायोजन करने के बाद) 3,07,707 करोड़ रुपए हुआ था। बिना शर्त वाली बीसीडी और सीबीडी छूटों और एफटीए/सीईपीए/सीईसीए की छूटों का राजस्व प्रभाव घटाने के पश्चात् 2016-17 में कर प्रोत्साहनों का अनुमानित राजस्व प्रभाव 1,28,304 करोड़ रुपए बैठता है। ईडीआई द्वारा एकत्रित नहीं किए गए डाटा के बहिर्वेशन के पश्चात् 2016-17 में अनुमानित सीमाशुल्क राजस्व प्रभाव 1,35,043 करोड़ रुपए आता है।

1.17 तथापि, इन आंकड़ों में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े भी शामिल हैं जो कि प्रतिअदायगी से पृथक अन्य विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को चलाये जाने के कारण पैदा हुए हैं। व्यक्तिगत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के राजस्व प्रभाव का ब्यौरा नीचे अलग-अलग दिया गया है। इन योजनाओं में से ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टिफिकेट, टारगेट प्लस, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, सर्वड प्रॉम इण्डिया और फोकस मार्केट/प्रोडक्ट इंडिया स्कीम से पण्य वस्तु निर्यात स्कीम प्रोत्साहन योजनाएं हैं। छूट अधिसूचनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त शुल्क की गणना करते समय इन योजनाओं से होने वाले परित्यक्त राजस्व प्रभाव पर भी विचार किया जाता है। बाकी योजनाएं या तो छूट योजनाएं हैं या आदान-कर उदासीनीकरण योजनाएं हैं। इन योजनाओं से होने वाले राजस्व प्रभाव को राजस्व प्रभाव की गणना से बाहर कर दिया गया है, जैसा कि नीचे सारणी 8 में दर्शाया गया है।

सारणी 8 : निर्यात प्रोत्साहन रियायतों के कारण होने वाला राजस्व प्रभाव

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	योजना का नाम	2015-16	2016-17 (अनुमानित)
1	एडवांस लाइसेंस योजना	25,634	28,784
2	ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	5,613	7,895
3	ईपीसीजी	9,884	9,641
4	डीईपीबी स्कीम	395	17
5	एसईजेड	9,925	10,182
6	डीएफआरसी	1	3
7	ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथराइजेशन स्कीम	1,321	545
8	ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टिफिकेट	231	228
9	टारगेट प्लस स्कीम	1,001	773
10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	1,953	276
11	सर्वड प्रॉम इण्डिया स्कीम	655	477
12	फोकस मार्केट/प्रोडक्ट स्कीम	10,374	5,103
13	इंडिया स्कीम से पण्य वस्तु निर्यात योग	-	11,909
		66,987	75,830
14	क्र.सं. 8 से 13 में प्रोत्साहन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व को कम रखा गया	14,214	18,765
15	आदान कर उदासीनीकरण या छूट योजनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व को सीमाशुल्क के सकल परित्यक्त राजस्व में से घटाया जाना है।	52,773	57,065

1.18 राजस्व प्रभाव के उपर्युक्त अनुमानों में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2), के अंतर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण हुए राजस्व प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

1.19 सारणी 9 में सीमा शुल्क के अंतर्गत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव निर्धारित करने के लिए गणनाओं का सारांश नीचे दिया गया है:

सारणी 9: सीमा शुल्क के अंतर्गत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव हेतु गणनाएं

(करोड़ रुपए)

क्रम.सं.	शीर्ष	फार्मूला	2015-16	2016-17 (वार्षिक)
क	ईडीआई डाटा के अनुसार कर प्रोत्साहन का कुल राजस्व प्रभाव (सुधारात्मक समायोजन करने के बाद)	-	311972	307707
ख	जीएसआईए छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	636	676
ग	एसईडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	214	159
घ	टीटीए छूट के कारण राजस्व प्रभाव-	249	448	
च	कर प्रोत्साहन का निवल राजस्व प्रभाव	क-(ख+ग+घ)	310873	306424
छ	एफटीए/सीईपीए/सीईसीए छूट सहित बिना शर्त बीसीडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव -	163313	145010	
ज	बिना शर्त सीवीडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	32118	33111
झ	ईडीआई डाटा के अनुसार कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव	च-(छ+ज)	115442	128304
झ	ईडीआई और गैर-ईडीआई स्थानों दोनों को कवर करने के लिए बहिर्वेशन	IX100/च*	122032	135043
ट	आदान कर उदासीनीकरण योजना के कारण निवल राजस्व प्रभाव	-	52773	57065
ठ	कर प्रोत्साहनों का अंतिम राजस्व प्रभाव	(ज-ट)	69259	77978

च*गैर-ईडीआई डाटा कवर करने के लिए बहिर्वेशन कारक है। ईडीआई ने 2015-16 में वास्तविक सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण का 94.6 प्रतिशत तथा 2016-17 में 95.01 प्रतिशत प्राप्त किया है।

1.20 2016-17 के दौरान कर प्रोत्साहन का अनुमानित राजस्व प्रभाव 2015-16 की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है।

1.21 2015-16 और 2016-17 के लिए सीमा शुल्क पर कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव निम्नानुसार है:

सारणी 10: सीमा शुल्क के अंतर्गत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव

राजस्व प्रभाव करोड़ रुपए

2015-16	69,259
2016-17 (अनुमानित)	77,978

ख. उत्पाद शुल्क

2.1 उत्पाद शुल्क को केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। अधिकांश मामलों में विभिन्न वित्त अधिनियमों द्वारा यह निर्धारित होता है कि यह शुल्क किस दर से लगाया जाना है। विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों को उत्पाद शुल्क की टैरिफ दरों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 अथवा संबंधित वित्त अधिनियम में अधिसूचनाओं के जरिए विनिर्दिष्ट टैरिफ दरों से कम दर पर शुल्क निर्धारित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। अधिसूचनाओं के जरिए निर्धारित की गई दरों को 'लागू दरों' के नाम से जाना जाता है।

2.2 उत्पाद शुल्क के मामले में, सरकार द्वारा जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो किस्मों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- क. सर्वानुभवी अधिसूचनाएं; और
- ख. बिना शर्त छूट अधिसूचनाएं

2.3 उक्त धारा 5 क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्ति के अलावा केन्द्र सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 क (2) के अंतर्गत कतिपय आपवादिक परिस्थितियों में मामले दर मामले के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकती है। इस प्रकार इस विशेष छूट आदेशों के जारी किये जाने के कारण होने वाले राजस्व प्रभाव की गणना, कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़ों के रूप में नहीं की जा रही है।

2.4 बजट 2016-17 तक, उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची अथवा संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रशुल्क दरों की तुलना में सर्वान्ध अथवा बिना शर्त वाली किसी भी छूट अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई प्रभावी दर को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया गया था, जिसका फार्मूला निम्नानुसार है:

(क) ऐसे मामलों में, जहां उत्पाद शुल्क का प्रशुल्क तथा प्रभावी दर यथा मूल्य दरें हैं वहां कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव = वस्तु का मूल्य X (उत्पाद शुल्क की प्रशुल्क दर - उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर)

(ख) ऐसे मामलों में, जहां दर यथा मूल्य आधार पर है परन्तु प्रभावी दर विशिष्ट है वहां कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव = (वस्तु का मूल्य X उत्पाद शुल्क की दर) - (वस्तु की मात्रा X विशिष्ट उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर)

(ग) उन मामलों में जहां प्रशुल्क दरें और प्रभावी दरें, यथा मूल्य का संयोजन हैं, वहां तदनुसार कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में विशिष्ट दरों की गणना की जाती है।

2.5 इस वर्ष उत्पाद शुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की गणना प्रणाली भी संशोधित की गई है, जैसा कि सीमा शुल्क के मामले में किया गया है। तदनुसार, बिना शर्त अधिसूचनाओं द्वारा लागू की गई दरों को वास्तव में प्रशुल्क दरों के समान माना गया है। इसलिए, उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहनों का कर प्रभाव सर्वान्ध छूटों के कारण अनिवार्य रूप से परित्यक्त राजस्व है, जो प्रशुल्क दरों (उत्पाद शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1985 द्वारा निर्धारित) अथवा वास्तविक प्रशुल्क दर (बिना शर्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित), की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों को घटी हुई दरें प्रदान करता है।

2.6 उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का ऑटोमेशन सिस्टम देश के सभी उत्पाद शुल्क निर्धारण में प्रचालित है। इस प्रकार, एसीईएस डाटा में सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट प्राप्त सभी वस्तुओं का ब्योरा नहीं है, और उस हद तक इस आंकड़े के आधार पर परित्यक्त राजस्व के अनुमान के परिणामस्वरूप कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का कम अनुमान लगाया गया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहन के कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान एसीईएस के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें अन्य के साथ-साथ निर्धारिती द्वारा विवरणियों में निहित आंकड़ों को परिलक्षित किया गया है। क्षेत्र आधारित छूट की स्कीमों के प्रचालन के कारण राजस्व प्रभाव संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रों से अलग से प्राप्त किए गये।

2.7 जहां तक क्षेत्र आधारित छूटों का संबंध है, इस समय दो प्रकार की छूट योजनाएं चल रही हैं:

(क) धनवापसी पर आधारित (उत्तर-पूर्व तथा जम्मू एवं कश्मीर) और
(ख) पूर्ण छूट (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड)।

धनवापसी आधारित छूटों के मामले में, राजस्व प्रभाव की संगणना वर्ष के दौरान व्यक्तिगत इकाईयों को वास्तव में स्वीकृत या उनके द्वारा दावाकृत सभी धन वापसियों के योग के आधार पर की जाती है। जहां तक पूर्ण छूटों का संबंध है, राजस्व प्रभाव की गणना सामान्य लागू दर और वास्तविक रूप से भुगतान किये गये शुल्क (शून्य) के अंतर का प्रयोग करते हुए की जाती है।

2.8 तदनुसार, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 1,99,461 करोड़ रुपए [1,77,495 करोड़ रुपए (सामान्य छूट-सर्वान्ध और बिना शर्त) + 21,966 करोड़ रुपए (क्षेत्र आधारित छूटों)] है। बिना शर्त उत्पाद शुल्क उयूटी छूटों के राजस्व प्रभाव को घटाने के पश्चात, वर्ष 2015-16 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 79,143 करोड़ रुपए [57,217 करोड़ रुपए (सर्वान्ध छूटों) + 21,966 करोड़ रुपए (क्षेत्र आधारित छूटों)] बैठता है।

2.9 इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव [अप्रैल से अक्टूबर, 2016 तक की अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़ों के बहिर्वेशन द्वारा] 1,99,838 करोड़ रुपए [1,80,502 करोड़ रुपए (सामान्य छूट-सर्वान्ध और बिना शर्त) + 19,336 करोड़ रुपए (क्षेत्र आधारित छूटों)] होने का अनुमान है। बिना शर्त उत्पाद शुल्क उयूटी शुल्कों के राजस्व प्रभाव को घटाने के पश्चात, 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 76,844 करोड़ रुपए [57,508 करोड़ रुपए (सर्वान्ध छूटों) + 19,336 करोड़ रुपए (क्षेत्र आधारित छूटों)] बैठता है।

2.10 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डयूटी में कर प्रोत्साहनों का समग्र राजस्व प्रभाव निम्नवत है :

सारणी : 11 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों का प्रभाव

क्र. सं.	छूट का ब्यौरा	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए)	
		2015-16 वास्तविक	2016-17 अनुमान
1.	पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर में लागू क्षेत्र आधारित छूटें	21, 966	19, 336
2.	अन्य	57, 217	57, 508
	जोड़	79, 183	76, 844

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए कर व्यय का सार निम्नवत है :

सारणी : 12 वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में कर व्यय (प्रत्यक्ष कर)

(करोड़ रुपए)

	2015-16 में राजस्व प्रभाव	2016-17 में संभावित राजस्व प्रभाव
निगम आयकर	76,858	83,492
व्यक्तिगत आय कर	61,800	80,034
जोड़	1,38,658	1,63,526

सारणी 13 : वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में कर व्यय (अप्रत्यक्ष कर)

	2015-16 में कर व्यय	2016-17 में कर व्यय (अनुमानित)
सीमा शुल्क डयूटी	69,259	77,978
उत्पाद शुल्क डयूटी	79,183	76,844
जोड़	1,48,442	1,54,822

वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रीय करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) से कुल कर व्यय 2,87,100 करोड़ रुपए है और वर्ष 2016-17 के लिए यह 3,18,348 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। निष्कर्ष के रूप में, कुल कर व्यय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में उर्ध्वगमी रुझान दर्शा रहा है।

परिशिष्ट

उद्योगों में नमूना कंपनियों के अधिशुल्क और शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर

(वित्त वर्ष 2015-16) (नमूना आकार – 597884)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
1	विनिर्माण उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	9,925	11,159.5	2,934.0	26.3
2	विनिर्माण उद्योग	मोटरगाड़ी और मोटरगाड़ी के पुर्जे	4,596	48,663.1	14,620.8	30.0
3	विनिर्माण उद्योग	सीमेंट	639	10,223.2	2,183.1	21.4
4	विनिर्माण उद्योग	हीरा-तराशना	475	2,260.4	662.3	29.3
5	विनिर्माण उद्योग	औषध और औषधीय	5,568	58,142.1	14,053.0	24.2
6	विनिर्माण उद्योग	कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलैक्ट्रॉनिक	2,427	13,074.1	4,646.0	35.5

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
7	विनिर्माण उद्योग	अभियांत्रिकी सामान	9,806	35,066.1	10,303.0	29.4
8	विनिर्माण उद्योग	उर्वरक, रसायन, पेंट्स	3,809	21,551.4	6,145.6	28.5
9	विनिर्माण उद्योग	आटा और चावल मिलें	1,552	740.0	234.8	31.7
10	विनिर्माण उद्योग	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां	3,374	9,548.6	3,078.4	32.2
11	विनिर्माण उद्योग	संगमरमर और ग्रेनाइट	2,022	1,059.3	359.2	33.9
12	विनिर्माण उद्योग	कागज	1,351	2,203.2	514.0	23.3
13	विनिर्माण उद्योग	पेट्रोलियम एंव पेट्रोरसायन	662	74,103.8	16,909.0	22.8
14	विनिर्माण उद्योग	विद्युत और ऊर्जा	5,40	52,722.7	11,554.5	21.9
15	विनिर्माण उद्योग	मुद्रण एंव प्रकाशन	2,593	6,256.7	1,967.7	31.4
16	विनिर्माण उद्योग	रबड़	898	1,020.9	326.1	31.9
17	विनिर्माण उद्योग	इस्पात	4,188	11,668.3	2,831.9	24.3
18	विनिर्माण उद्योग	शर्करा	331	1,272.7	246.0	19.3
19	विनिर्माण उद्योग	चाय, कॉफी	1,030	1,821.3	415.6	22.8
20	विनिर्माण उद्योग	वस्त्र, हथकरघा, बिजली करघा	9,773	14,908.8	4,009.1	26.9
21	विनिर्माण उद्योग	तम्बाकू	274	17,329.8	5,445.7	31.4
22	विनिर्माण उद्योग	टायर	151	7,411.8	2,028.5	27.4
23	विनिर्माण उद्योग	वनस्पति और खाद्य तेल	631	2,214.5	520.9	23.5
24	विनिर्माण उद्योग	अन्य	52,580	1,87,849.6	47,155.5	25.1
25	व्यापार	शृंखला भंडार	668	1,182.2	400.3	33.9
26	व्यापार	खुदरा व्यापारी	17,168	5,970.8	1,700.9	28.5
27	व्यापार	थोक व्यापारी	25,707	10,798.0	3,697.9	34.2
28	व्यापार	अन्य	90,732	27,213.3	7,516.9	27.6
29	आढ़तिये	सामान्य आढ़तिये	4,136	979.5	297.3	30.3
30	भवन निर्माता	भवन निर्माता	18,965	7,968.3	2,216.8	27.8
31	भवन निर्माता	सम्पदा ऐजेंट	3,671	284.6	80.7	28.4
32	भवन निर्माता	सम्पति विकासक	29,269	17,394.8	4,323.5	24.9
33	भवन निर्माता	अन्य	19,975	3,436.9	875.5	25.5
34	ठेकेदार/संविदाकार	सिविल ठेकेदार	10,913	13,843.9	4,268.0	30.8
35	ठेकेदार/संविदाकार	उत्पादशुल्क ठेकेदार	28	9.1	3.3	35.9
36	ठेकेदार/संविदाकार	वन ठेकेदार	9	308.0	115.9	37.6
37	ठेकेदार/संविदाकार	खनन ठेकेदार	880	3,263.6	918.7	28.2
38	ठेकेदार/संविदाकार	अन्य	11,640	6,795.8	2,347.1	34.5
39	व्यावसायिक	सनदी लेखाकार, लेखा परीक्षा, आदि	86	2.8	0.8	30.2
40	व्यावसायिक	फैशन रूपांकक	88	34.6	9.3	26.7
41	व्यावसायिक	विधि संव्यावसायिक	340	32.0	9.5	29.6
42	व्यावसायिक	चिकित्सा संव्यावसायिक	1,884	402.6	122.1	30.3
43	व्यावसायिक	उपचर्या-गृह	1,048	282.3	90.8	32.1
44	व्यावसायिक	विशेष अस्पताल	1,390	1,771.9	556.9	31.4
45	व्यावसायिक	अन्य	5,953	1,255.2	424.0	33.8
46	सेवा क्षेत्र	विज्ञापन अभिकरण	3,152	2,000.3	695.1	34.7
47	सेवा क्षेत्र	सौंदर्य बैठकखाना	370	28.0	9.3	33.2
48	सेवा क्षेत्र	परामर्शदात्री सेवा	19,278	12,169.7	3,076.4	25.3
49	सेवा क्षेत्र	कूरियर एजेंसी	563	556.6	231.8	41.7

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
50	सेवा क्षेत्र	कम्प्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षिक तथा कोचिंग संस्थान	3,688	1,277.0	404.3	31.7
51	सेवा क्षेत्र	फोरक्स डीलर्स	940	365.0	116.4	31.9
52	सेवा क्षेत्र	सत्कार सेवाएं	5,169	1,636.1	512.3	31.3
53	सेवा क्षेत्र	होटल	6,875	2,693.6	738.5	27.4
54	सेवा क्षेत्र	आईटी समर्थित सेवाएं, बीपीओ सेवा प्रदाता	16,051	55,330.6	16,244.3	29.4
55	सेवा क्षेत्र	सुरक्षा अभिकरण	2,119	739.3	287.6	38.9
56	सेवा क्षेत्र	सोफ्टवेयर विकास अभिकरण	13,136	1,00,121.8	24,527.7	24.5
57	सेवा क्षेत्र	परिवहन संचालनकर्ता	4,740	9,037.0	2,389.3	26.4
58	सेवा क्षेत्र	यात्रा अभिकर्ता, दौरा संचालक	4,902	1,322.8	446.8	33.8
59	सेवा क्षेत्र	अन्य	74,399	93,852.0	27,812.6	29.6
60	वित्तीय सेवा क्षेत्र	बैंक संबद्ध कंपनियां	233	1,02,223.6	41,158.1	40.3
61	वित्तीय सेवा क्षेत्र	चिटफंड	2,742	510.0	159.7	31.3
62	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय संस्थान	570	10,190.7	3,860.5	37.9
63	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय सेवा प्रदाता	2,545	9,994.9	2,997.3	30.0
64	वित्तीय सेवा क्षेत्र	पट्टाधारी कंपनियां	514	2,528.4	545.3	21.6
65	वित्तीय सेवा क्षेत्र	साहूकार	323	160.3	39.4	24.6
66	वित्तीय सेवा क्षेत्र	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां	8,470	70,829.9	20,780.9	29.3
67	वित्तीय सेवा क्षेत्र	शेयर दलाल, उप-दलाल आदि	3,658	10,056.7	2,520.3	25.1
68	वित्तीय सेवा क्षेत्र	अन्य	15,949	39,259.0	10,998.5	28.0
69	मनोरंजन उद्योग	केबल टी वी उत्पादन	414	260.1	78.3	30.1
70	मनोरंजन उद्योग	फिल्म वितरण	355	1,615.0	566.3	35.1
71	मनोरंजन उद्योग	फिल्म प्रयोगशाला	43	11.0	2.9	26.4
72	मनोरंजन उद्योग	चलचित्र निर्माता	709	896.2	317.9	35.5
73	मनोरंजन उद्योग	दूरदर्शन चैनल	393	4,670.7	1,343.4	28.8
74	मनोरंजन उद्योग	अन्य	4,538	3,440.1	899.3	26.1
75	अन्य	अन्य	32,433	34,129.6	11,087.3	32.5
जोड़			5,97,884	12,67,408	3,57,968	28.24